



आयुष्मान् भारत "निरामयम्", मध्य प्रदेश

दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद्

आई.ई.सी. ब्यूरो प्रथम तल, जे.पी. अस्पताल परिसर, भोपाल मध्यप्रदेश

क्रमांक./सी.ई.ओ./ए.बी./2019/14

भोपाल, दिनांक 10/01/2019

प्रति,

आयुक्त,
चिकित्सा शिक्षा,
सतपुड़ा भवन, भोपाल म.प्र.।

विषय:—आयुष्मान् भारत योजना अंतर्गत भर्ती मरीजों की जांच, उपचार/ईलाज में लगने वाली दवाईयों एवं अन्य सामग्री निःशुल्क प्रदाय करने के संबंध में।

संदर्भ:—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सी.ई.बी./2018/85 भोपाल, दिनांक 18.10.2018

—0—

उपरोक्त संदर्भित विषयातर्गत लेख है कि आयुष्मान् भारत "निरामयम्" म.प्र. योजना अंतर्गत आने वाले भर्ती मरीजों की जांच, उपचार/ईलाज निर्धारित पैकेजेस के तहत निःशुल्क किया जाता है।

विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित जानकारी, अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों एवं एस.एच.ए. द्वारा कराई गई जांच से संज्ञान में आया है कि आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्थाओं में आयुष्मान् भारत के अंतर्गत भर्ती मरीजों के परिजनों से दवाईयों, ऑपरेशन में लगने वाली सामग्री जैसे इम्प्लॉन्ट, consumable एवं उपचार में लगने वाली अन्य सामग्री चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ द्वारा बाजार से खरीदकर बुलाई जा रही है या भर्ती मरीज के परिजन स्वयं अपनी मर्जी से खरीद कर लाते हैं, जिसके उपरांत उन्हीं के द्वारा शिकायत की जाती है। (शिकायत की प्रति संलग्न)।

आयुष्मान् भारत "निरामयम्" के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी मरीजों की जांचे जैसे—सी.टी. एम.आर.आई., एक्सरे, ब्लड यूरिन इत्यादि मेडिकल/सर्जिकल प्रोसीजर्स पैकेज के अंतर्गत ही आती है। मेडिकल/सर्जिकल प्रोसीजर्स पैकेज के अंतर्गत यदि कोई जांचे आउटसोर्स द्वारा की जाती है, तो पैकेज राशि/आर.के.एस. से ही उसका भुगतान किया जाना होगा। यथा सी.टी. स्केन

अनुरोध है कि आयुष्मान् भारत योजना के अंतर्गत आपके अधीनस्थ संस्थाओं में एक राहत कोष (रिलीफ फण्ड) बनाया जावे जिसके द्वारा दवाईयों, इम्प्लान्ट एवं अन्य सामग्री की अनुपलब्धता की स्थिति में इन्हें क्रय किया जा सके ताकि हितग्राहियों का ईलाज एवं उपचार निःशुल्क किया जा सकें।

उपरोक्तानुसार आपके अधीनस्थ संस्थाओं को शीघ्र दिशा-निर्देश जारी करने का कष्ट करें ताकि अप्रिय स्थिति निर्मित न हो।



(रूही खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
आयुष्मान् भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 10/01/2019

क्रमांक./सी.ई.ओ./ए.बी./2019/15

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त स्वास्थ्य, सेवार्यें संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र.।
4. समस्त अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय म.प्र.।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
आयुष्मान् भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश